

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
28 ⁷ / ₂₅	<p>पत्रावली पैरा हुई। बार-बार आवाज दिलाने के पश्चात भी वाकिफान एवं इनके अधिकार उपस्थित नहीं हुए। इसलिए सु० नं० 139/2024 मिसल आई०डी० नं० 303/2024 उनवानी कृपाल सिंह बनाम रमन प्रामिना पर अस्थाई निषेधाज्ञा आदम हाजिरी आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल सुमार होकर बाद तफ्तीश नं० से कम की जाऊँ राखिल इफ्तार हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	